APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर मुकाम प्रशासन गांवों के संग शिविर ग्राम पंचायत मोतियाणियों का तला तहसील बाड़मेर

सुआंकवर ....बनाम............ तहसीलदार बाड़मेर व अन्य

किस्म मुकदमा राजस्व अपील 75 आर0एल0आर एक्ट.नं. 15 सन 2021

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
13.11.2021	अपीलार्थी श्रीमती सुआकंवर पत्नी देवीसिंह जाति राजपूत निवासी दौलाणियों का तला ग्राम पंचायत मोतियाणियों का तला तहसील एवं जिला बाड़मेर ने ग्राम पंचायत मोतियाणियों का तला मे आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 मे आयोजित शिविर दिनांक 13.11.2021 को अपील प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उसके पति श्री देवीसिंह पुत्र बालसिंह जाति राजपूत निवासी मोतियाणियों का तला का देहान्त दिनांक 26.10.2000 को होने पर उसके पति के फौतगी नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 23.10.2001 मे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा नामान्तरकरण भरते वक्त उसके सबसे छोटे पुत्र कमलेश (कमलसिंह) का नाम छोड़ दिया जिसका नाम नियमानुसार नामान्तरकरण मे दर्ज करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थीनी की अपील दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बाड़मेर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाड़मेर ने शिविर मे मौजूद पटवारी हल्का सांजटा एवं भू0अ0 निरीक्षण सरली से रिपोर्ट प्राप्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई की ग्राम दौलाणियों का तला के खातेदार देवीसिंह पुत्र बालसिंह के फौतगी नामान्तरकरण दायर करते समय उनके पुत्र कमलसिंह पुत्र देवीसिंह का नाम दर्ज नही हो पाया छुट गया। अतः यह जाईन्दा वारिश होने के कारण खातेदारी में नाम जोड़ा जाना उचित है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलधीन नामान्तरकरण सं0 58 पर पारित आदेश दिनांक 23.10.2001 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, बाड़मेर को आदेश दिये जाते है कि नये सिरे से नामान्तरकरण खोला जाकर ग्राम दौलाणियों का तला पटवार मण्डल सांजटा में स्थित खसरा नं. 465/83 रकबा 90.04 बीघा, खसरा नंबर 467/84 रकबा 90.01 बीघा, खसरा नंबर 469/445 रकबा 19.00 बीघा खसरा नंबर 471/450 रकबा 51.01 बीघा कुल 250.06 बीघा भूमि में अंकित देवीसिंह के वारिश खातेदारों के साथ देवीसिंह के जाईन्दा पुत्र कमलेश उर्फ कमलसिंह का नाम अंकित करते हुए समस्त राजस्व अभिलेख में अमलदरामद सुनिश्चित करावे। आदेश मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हों।	

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर